

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 172]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2013—चैत्र 28, शक 1935

लोक सेवा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2013

क्र. एफ 2-13/2012/61/लोसेप्र/पी.एस.जी.-01.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा अधिसूचना क्र. एफ 308-05-01-2010 दिनांक 24 सितम्बर, 2011 में ऊर्जा विभाग से संबंधित सेवाओं को विलोपित करते हुए ऊर्जा विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिये निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत ऊर्जा विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.1	निम्नदाब के व्यक्तिगत स्थाई नवीन कनेक्शन के लिए माँग-पत्र प्रदान करना जहां ऐसा कनेक्शन वर्तमान नेटवर्क से संभव है	(अ) <u>शहरी क्षेत्र</u> जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) <u>ग्रामीण क्षेत्र</u> वितरण केन्द्र प्रभारी	11 कार्य दिवस 16 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस 15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता अधीक्षण अभियंता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2	माँग-पत्र अनुसार राशि जमा करने के बाद वर्तमान नेटवर्क से निम्नदाव स्थाई नवीन कनेक्शन प्रदान करना	(अ) <u>शहरी क्षेत्र</u> जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) <u>ग्रामीण क्षेत्र</u> वितरण केन्द्र प्रभारी	10 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.3(अ)	जहाँ वर्तमान निम्नदाव अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ 10 कि.वा. तक के लिए अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने हेतु माँग-पत्र जारी करना	(अ) <u>शहरी क्षेत्र</u> जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) <u>ग्रामीण क्षेत्र</u> वितरण केन्द्र प्रभारी	4 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.3(ब)	जहाँ वर्तमान निम्नदाव अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ 10 कि.वा. तक के लिए राशि जमा करने के उपरांत अस्थायी कनेक्शन प्रदान करना	(अ) <u>शहरी क्षेत्र</u> जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) <u>ग्रामीण क्षेत्र</u> वितरण केन्द्र प्रभारी	3 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.4	जहाँ वर्तमान निम्नदाव अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ उपभोक्ता द्वारा संपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत भारवृद्धि के प्रकरणों में माँग-पत्र जारी करना	(अ) <u>शहरी क्षेत्र</u> जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) <u>ग्रामीण क्षेत्र</u> वितरण केन्द्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.5	जहाँ वर्तमान निम्नदाव अधोसंरचना में विस्तार की आवश्यकता न हो वहाँ माँग-पत्र अनुसार राशि जमा करने तथा अनुपूरक अनुबंध किये जाने के उपरांत निम्नदाव के प्रकरणों में भारवृद्धि करना	(अ) <u>शहरी क्षेत्र</u> जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) <u>ग्रामीण क्षेत्र</u> वितरण केन्द्र प्रभारी	7 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.6	निम्नदाव उपभोक्ताओं के मीटर बंद होने या तेज चलने की शिकायत पर जाँच कराना एवं मीटर खराब पाये जाने पर सुधारना/बदलना	(अ) <u>शहरी क्षेत्र</u> जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) <u>ग्रामीण क्षेत्र</u> वितरण केन्द्र प्रभारी	22 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता
1.7	निम्नदाव संयोजन के स्थायी विच्छेदन करने संबंधी आवेदन का निराकरण	(अ) <u>शहरी क्षेत्र</u> जोन/वितरण केन्द्र प्रभारी (ब) <u>ग्रामीण क्षेत्र</u> वितरण केन्द्र प्रभारी	30 कार्य दिवस	कार्यपालन अभियंता	15 कार्य दिवस	अधीक्षण अभियंता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैस,
प्रमुख सचिव